नियुक्ति के बाद अब जिला प्रभारियों को मिला टॉस्क

जिले में बूथ को करेंगे मजबूत, जिले के गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. प्रदेश भाजपा संगठन ने नियुक्ति के चार दिन बाद ही जिला प्रभारियों को टॉस्क दे दिया है. उन्हें जिले में दौरे के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम बनाना होगा. वहां रात्रि विश्राम भी करना होगा.

ये सब करने से पहले उन्हें की भौगोलिक, सामाजिक से लेकर सांस्कृतिक विशेषताओं की समझ बढ़ाना होगा, जिससे कि उन्हें जिले में मेल-जोल बढ़ाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. अब वे विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक कराने में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे, वहीं बूथों को मजबूत करने में भी भागीदारी करेंगे. प्रदेश भाजपा संगठन ने 7 फरवरी को ही जिले के प्रभारियों की नियुक्ति की थी. इन नए जिला प्रभारियों के साथ ही संभाग प्रभारियों की मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रभारी संगठन के कार्यों को पारदर्शिता, आपसी समन्वय और अनुशासन के साथ करते हुए आदर्श संगठक के उच्च मानदंड स्थापित करना है.

आने वाला समय संगठन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें जिला प्रभारी की भूमिका अत्यधिक अहम होगी. अपने प्रभार वाले जिले में नियमित प्रवास करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों की सतत समीक्षा, सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने जिले में प्रवास करना और रात्रि विश्राम भी उसी जिले में करना चाहिए.

कोई भी पदाधिकारी बिना जिम्मेदारी के नहीं रहना चाहिए : जामवाल

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए किसी भी दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी की स्पष्ट परिभाषा, उसकी भूमिका और संपूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है. जिला प्रभारी को अपने प्रभार वाले जिले का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक अध्ययन करते हुए निरंतर प्रवास के माध्यम से आगे बढ़ाना होगा, ताकि सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो सके. संगठन की मजबूती का आधार कार्य विभाजन है. कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बिना दायित्व के नहीं रहना चाहिए.

जल संसाधन मंत्री ने राजस्व मंत्री से की मुलाकात

भोपाल, 10 फरवरी. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मंगलवार को राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जल संरचनाओं के आसपास, विशेष रूप से बेतवा नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाए जाने, पेड़ों का संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की. मंत्रीद्वय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में स्थल निरीक्षण करें.

बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. प्रदेश में एक बार फिर कृषि कैबिनेट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. मप्र में धान उत्पादन में अव्वल जिला बालाघाट में कृषि कैबिनेट होगी. बजट सत्र के बाद ये कैबिनेट मार्च में होने की संभावना है.

इस संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट के दौरान दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकौशल क्षेत्र की कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, जो पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने के संकल्प का प्रतीक होगी. उन्होंने बालाघाट जिले के नक्सल मुक्त होने के बाद पुलिस जवानों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम के बारे में भी मंत्रियों से जानकारी साझा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आहवान किया कि सभी जिलों में विक्रमोत्सव और गुड़ी पड़वा का पर्व उल्लास और उत्साह से मनाया जाए. उन्होंने कहा कि इसके तत्काल बाद प्रदेश में जल गंगा अभियान आरंभ हो जाएगा जो 3 महीने तक जारी रहेगा. उन्होंने मंत्रीगण को अपने-अपने जिलों में अभियान की गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश को रेल के क्षेत्र में सिंगरौली जबलपुर ट्रेन की सौगात प्राप्त होने वाली है.

पंजीयन के लिए 3186 केंद्र बनाए: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन के लिये पंजीयन 7 फरवरी से आरंभ हो गया है, यह 7 मार्च तक जारी रहेगा. प्रदेश में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं. गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है. डॉ. यादव ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए रखा गया है, जो पिछली बार की एमएसपी से अधिक है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51 लाख 74 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ. प्रदेश में 8 लाख 59 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 7 लाख 89 हजार से अधिक किसानों ने स्पॉट बुकिंग कर धान उत्पादन में अपना योगदान दिया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र में वस्त्र उद्योग इकाई स्थापना की संभावनाओं को भी देखें तथा मूलभूत आवश्यकता वाले रोजगारपरक टेक्सटाइल यूनिटों की अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापना के लिए प्रयास करें.

जल्द और खुशखबरी मिलेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में चीतों की संख्या 35 हो गई है. उन्होंने बताया कि जल्द ही और भी खुशखबरी मिलेगी. उन्होंने बताया कि इंदौर जू से भी व्हाइट टाइगर की संख्या में वृद्धि का शुभ समाचार है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से प्रदेश में वन्य जीवों के पुनर्स्थापना के संबंध में हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप अब प्रदेश में जंगली भैंसा भी लाए जा रहे हैं. साथ ही बोत्सवाना से 8 चीते 28 फरवरी को प्रदेश में लाए जा रहे हैं.

आपराधिक कानूनों को लेकर एमपी में समीक्षा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. मध्यप्रदेश में हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.

बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (गृह) शिव शेखर शुक्ला ने की. बैठक का उद्देश्य नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का आकलन करना तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करना रहा. बैठक में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने, फॉरेंसिक व्यवस्था के सशक्तिकरण, जेल प्रबंधन, साइबर अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोधी उपायों, मादक पदार्थ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा पुलिस आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके साथ ही राज्य से जुड़े विशिष्ट सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-II) निशा तिवारी और संयुक्त निदेशक अमृता डेस बैठक में शामिल हुईं. उनका औपचारिक स्वागत पुलिस महानिरीक्षक एवं सचिव, गृह विभाग कृष्णावेणी देशावतु ने किया.

समीक्षा बैठक में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

सीएम आज उज्जैन में करेंगे वन मेले का शुभारंभ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में बुधवार को शाम 4 बजे दशहरा मैदान, सेठी नगर उज्जैन में वन मेले का शुभारंभ करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एमएफपी. पार्क द्वारा निर्मित प्राकृतिक होली रंग गुलाल एवं महाकाल स्मृति उपहार का विमोचन करेंगे. साथ ही वन विभाग की एक नवीन पहल महाकाल वन प्रसादम का भी शुभारंभ करेंगे. महाकाल वन मेला समृद्ध वन, खुशहालजन थीम पर आधारित होगा, जो 11 से 16 फरवरी तक चलेगा. महाकाल की नगरी उज्जैन में वन मेले का आयोजन पहली बार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव वन विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन करेंगे. वन मेले में लगभग 250 भव्य एवं आकर्षक स्टॉल्स लगाये जा रहे हैं, जिसमें 16 स्टॉल्स विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के लिये, 76 स्टॉल्स प्राथमिक लघु वनोपज समितियों एवं वन धन केन्द्रों के लिये, एक भव्य स्टॉल विंध्य हर्बल्स के लिये, 5 स्टॉल्स लघु वनोपज के जीवंत प्रदर्शन के लिये, ओपीडी के लिये 50 स्टॉल्स आरक्षित रखे गये हैं.

किसानों की समृद्धि के लिए कार्य जारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है.

मप्र कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए प्रदेश में मछली पालन के साथ ही एक्काकल्चर के क्षेत्र में भी कार्य किया जाए. प्रदेश में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे मछुआरों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मछुआ सम्मेलन आयोजित कर मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने कहा कि कम भू-जल स्तर वाले जिलों में फॉर्म पॉन्ड मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए एक जिले को मॉडल के रूप में तैयार किया जाए, जिसमें मत्स्य उत्पादन के साथ ही सिंघाड़ा, कमल गट्टा, मखाना सहित अन्य एक्काकल्चर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मध्यप्रदेश केज कल्चर नीति पर कार्य किया जा रहा है. इसमें 10 हजार केज हितग्राही मूलक योजना में और 90 हजार केज उद्यमी मॉडल के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे. बैठक में भोपाल में प्रस्तावित विशेष प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एंड रिसर्च सेंटर की जानकारी भी दी गई.

समाज के नवयुवक मंडल अध्यक्ष बने प्रशांत साहू

बैरसिया, 10 फरवरी. बैरसिया साहू समाज नवयुवक मंडल, का चुनाव बालविहार स्थित साहू समाज मंदिर प्रांगण में सोमवार को देर रात संपन्न हुए. वरिष्ठ साहू समाज के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र साहू (डागा) की अध्यक्षता में हुए नवयुवक मंडल के चुनाव में सर्वसम्मति से प्रशांत साहू को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया.

साहू समाज के लोगों ने नव नियुक्त अध्यक्ष प्रशांत साहू को पुष्प मालाएं पहनाकर बधाइयां दी. इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष साहू ने कहा कि समाज के वरिष्ठजनों ने जिस उम्मीद से अध्यक्ष नियुक्त किया है उस पर खरा उतरकर समाज के युवाओं को युवा मंडल में जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा.

इस अवसर पर मध्य प्रदेश तैलिक साहू महासभा के महासचिव रमेश कुमार साहू, संयुक्त सचिव वीरेंद्र साहू, जितेंद्र साहू (डागा) अध्यक्ष साहू समाज बैरसिया, हरिप्रसाद साहू, गुलाब साहू, शंकर लाल साहू, ओमप्रकाश साहू, दीपक साहू, प्रकाश साहू, एडवोकेट शैलेंद्र साहू, राकेश साहू, श्याम साहू, प्रमोद साहू, विनोद साहू सहित बड़ी संख्या में साहू समाज के लोगों ने बधाई दी.

नेताओं के विरोध के चलते उलझी भाजपा जिला कार्यकारिणी

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल, 10 फरवरी. भाजपा जिला कार्यकारिणी अब राजधानी के नेताओं के विरोध के चलते उलझ गई है. शाम को भाजपा के जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर ने जिला कार्यकारिणी घोषित की गई और तुरंत ही सोशल मीडिया में वायरल भी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सूची गायब भी हो गई. बताया जा रहा है कि नई कार्यकारिणी का भाजपा के दो दिग्गजों मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा विरोध किया. वहीं सूची में सांसद आलोक शर्मा और पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह का दबदबा दिखा. लिहाजा अब स्थानीय नेताओं को सूची को लेकर सहमत करने के बाद जारी होने की संभावना है.

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं -

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री सुनील तिवारी, श्रीमती किस्मत तिवारी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10230176)	03-फरवरी-2026, रु. 987407/- (रुपये नौ लाख सतासी हजार चार सौ सात मात्र)	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा जो है- हाउस नंबर 308, शीतल टाउन, वार्ड नंबर 24, ग्राम- मंडीदीप, तह.-गौहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश 462046 एरिया नाप (Sq. Ft. में)- प्रॉपर्टी टाइप- एरिया_नाप प्रॉपर्टी एरिया- 480
श्री अनूप कुमार पांडे, श्री रामचन्द्र पांडे, श्रीमती उषा पांडे (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10401061)	04-फरवरी-2026, रु. 1526108/- (रुपये पंद्रह लाख छब्बीस हजार एक सौ आठ मात्र)	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा जो है- प्लॉट नंबर 25, खसरा नंबर 120/2/1 का हिस्सा, 121/1/2 & 121/2, ग्राम-मेंदरी, P.H.N. 33 वार्ड नंबर 103, तह.-हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462044 एरिया नाप (Sq. Ft. में)- प्रॉपर्टी टाइप- एरिया_नाप प्रॉपर्टी एरिया- 950

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं. विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस -249, द इनफिनिटी, पहला माला, एमपी नगर जोन-2, नियर तुलसी होटल, भोपाल-462011/ प्रथ तल, होटल सूर्या के ऊपर, निकट प्लेटफार्म नं. 1, रेलवे स्टेशन, विदिशा-464001 या कार्पोरेट ऑफिसः आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस- IV गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान : भोपाल
दिनांक : 11.2.2026

प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.

यातायात व्यवस्था फेल

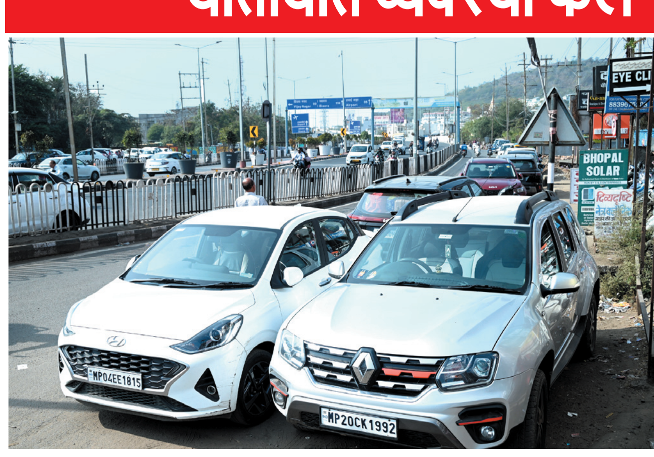

एयरपोर्ट से लालघाटी की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर हर रोज रांग साइड में वाहनों के खड़े होने से यातायात व्यवस्था फेल हो रही है. इस लापरवाही के चलते आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

श्रीमद् भागवत कथा के लिए आज निकलेगी कलश यात्रा

बाड़ी, 10 फरवरी. शिवालय प्रांगण शिव शक्ति कावड़ कॉलोनी वार्ड क्र. 06 में समिति द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है. दीपाली एंड ग्रुप मित्र मंडल ने आयोजन को सफल बनाने की अपील की है. 11 फरवरी बुधवार को नया बस स्टैंड दुर्गा चौक से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी. श्रीमद् भागवत कथा 11 से 17 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसका समय दोपहर 1:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा. कथा व्यास डॉ. पं. गोविन्दाचार्य महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे.

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.
(A Govt. of M.P. Undertaking)
Office of The Dy. General Manager (O&M) Division Betul (South)
Phone No. : 07577-222222, E-mail : dgmbetulsouth@gmail.com

No. :/DGM/PUR/6915-16 — Betul, Dated : 10.02.2026

OFFER FOR HIRING VEHICLE

MPMKVVCL hereby invited offer/rate for hiring the below mentioned type of vehicle in the following locations :-

Name of Unit/Office	Particulars	EMD (In Rs.)	Due Date of Submission of Offer	Opening Date & Time
Assistant Manager (O&M) Betul Bazar DC under (O&M) Betul (S) Dn.	**Type F3 :** Mini Pick up - Double cabin with ladder/Any Low-End SUV half open from backside for carriage of man, materials, ladder, etc. or equivalent. (for single shift) (As per Vehicle Policy)	3000/-	17.02.2026 Up to 3.00 P.M.	17.02.2026 at 04.00 P.M.

Other details, terms and conditions are available on Company website **https://portal.mpcz.in** or the under signed office.

M.P. Madhyam/124411/2026 — DGM (O&M)

12को रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

श्रमिक विरोधी कानून के विरोध में 12 संगठन हुए एकजुट

भोपाल, 10 फरवरी. रेलवे के कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया, जिसमें रेलवे के सेंट्रल ट्रेड यूनियनों लगभग 12 संगठनों वेस्ट सेंट्रल रेलवे मज़दूर संघ, इंटक, एनएफआईआर, आईटीएफ सहित अन्य नें नैतिक समर्थन कर रहे है.

ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी संगठन एक मत होकर कर्मचारी हितों के लिए आगे आए हैं. इस हड़ताल में कर्मचारी नए लेबर कोड को रद्द करना, पुरानी पेंशन की पुन: बहाली, निजीकरण को रद्द करना, न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ोतरी, 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू करना जैसी अन्य मांग करेंगे. वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि हमारे संगठन का नैतिक समर्थन रहेगा. केन्द्र सरकार ने 23 श्रमिक कानूनों को तोड़कर चार कानून बनाए, जो श्रमिक विरोधी हैं. इन नए कानूनों से श्रमिकों को बहुत नुकसान हो रहा है. वेस्ट सेंट्रल जोन भोपाल, जबलपुर और कोटा के श्रमिक विरोधी कानून का विरोध कर अपनी के समर्थन में कर्मचारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे.

नाम परिवर्तन

मैं, महेश कुमार प्रसाद, निवासी- मटूकपुर, बरहारा, भोजपुर बिहार- 802311, कथन करता हूं कि मैं आर्मी में कार्यरत हूं (मेरा आर्मी सर्विस नं 14839911K हैं) में मेरी पुत्री का नाम शाम्भावी प्रसाद अंकित है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शाम्भवी प्रसाद हैं मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पुत्री का नाम शाम्भावी प्रसाद के स्थान पर शाम्भवी प्रसाद दर्ज किया जावे।
शपथ पत्र दिनांक 06.02.2026

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, स्वेता द्विजेंद्र मिश्रा, निवासी फ्लैट नंबर 202 साई स्पर्श उषा प्रभा कॉलोनी अवधपुरी भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम गलती से स्वेता मिश्रा दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम स्वेता द्विजेंद्र मिश्रा है। भविष्य में मुझे स्वेता द्विजेंद्र मिश्रा (SHWETA DWIJENDRA MISHRA) के नाम से ही जाना जाए।

नाम परिवर्तन सूचना

पूर्व में मेरा नाम ALISHA HASAN, था जोकि बदल गया है। मेरा सही नाम ALISHA ZAHIR है। अतः अब भविष्य में मुझे ALISHA ZAHIR इसी नाम से जाना और पहचाना जाऐगा। निवासी 15, नगर निगम कॉलोनी, अशोक विहार, अशोक गार्डन, हूज़ुर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462023

पश्चिम मध्य रेल
ई-निविदा सूचना
खुली निविदा क्रमांक:
WCR-CRWS-BIOTANK-25-29R

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नामः वर्क ऑफ आईआर-डीआरडीओ रिटेन्शन टैंक, वर्क ऑफ अंडर स्लंज वाटर टैंक एंड वर्क आफ़ बफिंग आफ एसएस कम्पोनेंट्स एस पर स्कोप ऑफ वर्क एट सीआरडब्ल्यूएस, भोपाल। कार्य की लागतः ₹** 1,92,62,347.18. **निविदा फार्म का मूल्यः** 0.00. **धरोहर राशिः** ₹2,46,400/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 24 माह। **ऑनलाइन बिडिंग प्रारम्भ होने का दिनांक/ऑनलाइन निविदा बंद होने का दिनांक एवं समयः** 18.02.2026/ 04.03.2026 को 15.00 बजे तक। **निविदा खुलने का दिनांक एवं समयः** 04.03.2026 को 15.30 बजे। निविदा तथा निविदा प्रारुप की विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** एवं निविदा सूचना मुख्य कारखाना प्रबंधक, सडिपुका/ भोपाल कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

मुख्य कारखाना प्रबंधक, सडिपुका, निशातपुरा, भोपाल.

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 32713 OF 2025 WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

MAMTA AND OTHERS ... Petitioner(s)
VERSUS
MALKHAN SINGH AND OTHERS ... Respondent(s)

To,
1. MALKHAN SINGH S/O KARAN SINGH, ANAND NAGAR RAISEN ROAD, BHOPAL MADHYA PRADESH (DRIVER).
PID: 29448/2026 FOR R[1] IN SLP(C) NO.32713/2025 (SEC IV-C)
2. ACHHE MIYA, S/O SAJID MIYA R/O 1151, BAG DILKUSHA ESHBAGH STADIUM, BHOPAL, MADHYA PRADESH (OWNER).
PID: 29449/2026 FOR R[2] IN SLP(C) NO.32713/2025 (SEC IV-C)

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application for PERMISSION **TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/ FACTS/ANNEXURES, CONDONATION OF DELAY IN FILING, EXEMPTION FROM FILING O.T., SUBSTITUTED SERVICE** above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by Ms. NEHA RATHI, Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before this Court on 04th November, 2025, when the Court was pleased to pass the following order:-
"1. Delay condoned.
2. Issue notice, returnable within six weeks.
3. Application (IA No. 269020/2025) seeking permission to file additional documents is granted."
AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before Ld. Registrar's Court on 28th January, 2026, When the following order was passed:-
"Ld. Counsel for the petitioner has filed an application seeking substituted service on respondent nos. 1 and 2 through publication in newspapers namely, "Navbharat Times", vernacular language and "Times of India", English language. Application is hereby allowed. Ld. Counsel to file affidavit alongwith proof of publication by 11.02.2026. Service was complete on respondent no.3 on 18.11.2025 but none has entered appearance.
List again on 24.02.2026.
Copy of this Record of proceeding be furnished to the concerned ld. Advocate-on-record for information and compliance. "
NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition with prayer for interim relief along with application will be posted for hearing before this Court in due course and you may enter appearance before this Court either in person or through an advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf within 30 days from the date of publication of notice. You may thereafter show cause to the Court on the day that may subsequently be specified as to why Special Leave Petition and interim relief as prayed be not granted and the resultant appeal be not allowed.
You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R 2013 within 30 days from the date of publication of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.
TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.
Dated : 31st January, 2026
Copy to :-
1 Ms. Neha Rathi (adv.)
301, New Lawyers Chambers, Opp. Supreme Court Of India, Bhagwan Das Road, New Delhi- 110 001.

Important Notice
LEGAL AID
(1) Legal Services of an advocate is provided by the Supreme Court Legal Services Committee and the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society to eligible litigants, litigants having income upto Rs. 12 lakh per annum can avail partial legal aid through the Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Society on payment of amount of Rs. 15,000/-.
For further information, please contact SUPREME COURT MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SOCIETY 109, Lawyers Chambers, R.K. Jain Block, Post Office Wing, Supreme Court Compound, New Delhi-110001. Telephone No. 011-23388597 E-mail- migsociety@gmail.com
MEDIATION
(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.
For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel No. 011-23071432).
ASSISTANT REGISTRAR

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल सेन्ट्रल
प्रथल तल, 1513/1/1, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
rh.bhopal@unionbankofindia.com
संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित ऋणियों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **13 मार्च 2026** को बेचा जाएगा।

शाखा का नाम ऋणी का नाम	ऋणी की संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी	मांग सूचना अनुसार बकाया राशि
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एम.पी. नगर शाखा : जोन-2, एम.पी. नगर, मेन रोड, भोपाल - 462 011			
ऋणी- **श्री अजीमुद्दीन पुत्र सलीमुद्दीन** पता 1: - फ्लैट/मकान संख्या 147, बी-सेक्टर पिपलानी, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462022 पता 2: - आवासीय मकान/प्लॉट संख्या 113/2/7, फ्लैट संख्या एच-1, पहली मंजिल, श्री रामचंद्र हाइट्स, अयोध्या बाईपास, नरेला शंकरी, भोपाल - 462001 पता 3: - फ्लैट/मकान संख्या 125, ए-सेक्टर पिपलानी, हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462022	संपत्ति का समस्त भू भाग रिहायशी मकान स्थित खसरा नं. 113/2/7, वार्ड नं. 66, फ्लैट संख्या एच, प्रथम तल, श्री रामचंद्र हाइट्स, अयोध्या बायपास रोड, नरेला शंकरी, भोपाल-462001, क्षेत्रफल 50.55 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्री अजीमुद्दीन पुत्र सलीमुद्दीन चर्तुसीमाएं: पूर्व- फ्लैट संख्या जी, पश्चिम- फ्लैट संख्या I, उत्तर- गलियारा, दक्षिण- खुला क्षेत्र	₹ 16,18,400/- आरक्षित मूल्य का 10% भौतिक कब्जा	₹ 14,58,719.77 (मांग सूचना दि. 21.07.2025 के अनुसार) + ब्याज एवं खर्चे

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 13-03-2026, दोपहर 12.00 से सायं 5.00 बजे तक (10 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट देखें।
https://www.unionbankofindia.bank.in/auction-property/viewauction-property.aspx & https://baanknet.com
पंजीयन, लॉगइन एवं नीलामी के नियम हेतु अवलोकन करें- https://baanknet.com
तारीख : 09.02.2026
स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया